

(भारत के राजपत्र के भाग -1, खण्ड -2 में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/34/2013-अ.भा.से.(I)


भारत सरकार  
ल कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक : 03 जनवरी, 2014

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, मणिपुर-त्रिपुरा एवं महाराष्ट्र सरकारों की सहमति से, अंतर्सर्वर्गीय प्रतिनियुक्ति से पूर्व 9 वर्षों की सेवा पूरी करने संबंधी मानदंड में छूट प्रदान करते हुए, श्री गिटे किरण कुमार दिनकर राव, आई.ए.एस. (महाराष्ट्र:05) की मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग में वैयक्तिक आधार पर तीन वर्षों के अंतर्सर्वर्गीय प्रतिनियुक्ति का अनुमोदन प्रदान करती है।

  
(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष सं. 23092695

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्राणालय,  
फरीदाबाद (हरियाणा)